न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 03 / 2025 **दायर दिनांकः 02.01.2025**

उनवान

1. मुश्ताक अली उर्फ मुश्ताक मोहम्मद आयु 64 वर्ष पुत्र अता मोहम्मद खा जाति मुसलमान निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 17.03.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडोरा पटवार मण्डल बडोरा तहसील अटरू की खाता संख्या 10 के ख0नं0 254 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 259 रकबा 0.73 है०, ख0नं0 260 रकबा 0.35 है० किता 3 रकबा 1.20 हैं० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम मुश्ताक मोहम्मद दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल भोजूखेडी पटवार मण्डल कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 3 के ख०नं० 188 रकबा 0.52 है0 किता 1 रकबा 0.52 हैं० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम मुश्ताक मोहम्मद दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र के पद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मुश्ताक मोहम्मद दर्ज है तथा जो प्रार्थी का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम मुश्ताक अली हैं। प्रार्थी के पता का स्वर्गवास होने के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय प्रार्थी के परिवार ने प्रार्थिया का बोलता नाम मुश्ताक मोहम्मद लिखवा दिया गया। जिससे प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मुश्ताक मोहम्मद दर्ज हो गया। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:41 IST
Reason: SelfAttested

राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम मुश्ताक अली है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुश्ताक मोहम्मद के स्थान पर मुश्ताक अली दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 15.09.2024 को प्रार्थी द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरूश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नहीं करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मुश्ताक मोहम्मद के स्थान पर मुश्ताक अली दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बडौरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 10, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भोजूखेडी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 3, बैंक पास बुक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड व आधार कार्ड का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विश्लेषण तथा दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल बडोरा पटवार मण्डल बडोरा की खाता संख्या 10 के ख0नं0 254 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 259 रकबा 0.73 है०, ख0नं0 260 रकबा 0.35 है० किता 3 रकबा 1.20 हैं० आराजी तथा ग्राम एवं माल भोजूखेडी पटवार मण्डल कटावर की खाता संख्या 3 के ख०नं० 188 रकबा 0.52 है0 किता 1 रकबा

0.52 हैं० आराजी में सहखातेदार मुश्ताक मोहम्मद पुत्र अत्ता मोहम्मद के स्थान पर मुश्ताक अली पुत्र अत्ता मोहम्मद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल बडोरा पटवार मण्डल बडोरा की खाता संख्या 10 के ख0नं0 254 रकबा 0.12 है०, ख0नं0 259 रकबा 0.73 है०, ख0नं0 260 रकबा 0.35 है० किता 3 रकबा 1.20 हैं० आराजी तथा ग्राम एवं माल भोजूखेडी पटवार मण्डल कटावर की खाता संख्या 3 के ख०नं० 188 रकबा 0.52 है0 किता 1 रकबा 0.52 हैं० आराजी में सहखातेदार मुश्ताक मोहम्मद पुत्र अत्ता मोहम्मद के स्थान पर मुश्ताक अली पुत्र अत्ता मोहम्मद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:43:41 IST
Reason: SelfAttested